उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY,HARIDWAR
बहादराबाद, हरिद्वार – दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,
HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY
पो0 – बहादराबाद (हरिद्वार)– 249402
P.O. : BAHADARABAD (HARIDWAR)-249402
E-mail : registrar@usvv.ac.in Website : www.usvv. ac.in

पत्रांक 4956(1)/नियुक्ति/2018 दिनांक 09 मई, 2018

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के लिए शासन द्वारा सृजित निम्नांकित पदों पर चयन के लिए अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 18 जून, 2018 सायं 05 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं :–

प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु :–

क्र. स.	पदनाम	वेतनमान मैट्रिक्स लेवल	पदों की संख्या	**शैक्षिक अर्हता**
1	सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक अनुभाग)	लेवल–7	1	1–अनिवार्य – (क) शैक्षिक– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान। (ख) अनुभवः– सरकारी कार्यालय अथवा किसी विश्वविद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी में पत्रलेखन तथा लेखा नियमों का कार्य करने का कम से कम 07 वर्ष का अनुभव।
2	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–02	लेवल–7	3	1–प्रशासनिक अधिकारी, (वित्त अधिकारी कार्यालय) :– शैक्षिक अर्हता :–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम/ एम. कॉम की उपाधि। अनुभव :–किसी राजकीय महाविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय/राजकीय कार्यालय/ स्वायतशासी संस्था में लेखाकार अथवा समकक्ष पद पर कार्यरत अभ्यर्थी जिन्हें पे बैण्ड रू. 9300–34800 ग्रेड पे रू. 4200 में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो तथा कम से कम 17 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया गया हो।
				2–प्रशासनिक अधिकारी,(परीक्षा विभाग कार्यालय) शैक्षिक अर्हता :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। अनुभव :– किसी राजकीय महाविद्यालय/ राज्य विश्वविद्यालय/ राजकीय कार्यालय/ स्वायतशासी संस्था में समकक्ष पद पर कार्यरत अथवा ऐसे प्रधान सहायक अथवा समकक्ष पद पर कार्यरत कार्मिक जिन्हें पे बैण्ड रू. 9300–34800 ग्रेड पे रू. 4200 में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो तथा कुल सेवाकाल 17 वर्ष का हो। परीक्षा कार्य में अनुभव प्राप्त व्यक्ति अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
				3–प्रशासनिक अधिकारी, (शैक्षणिक अनुभाग) (सम्बद्धता/मान्यता सहित) शैक्षिक अर्हता :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। अनुभव :–किसी राजकीय महाविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय/राजकीय कार्यालय/ स्वायतशासी संस्था में समकक्ष पद पर कार्यरत अथवा ऐसे प्रधान सहायक अथवा समकक्ष पद पर कार्यरत कार्मिक जिन्हें पे बैण्ड रू. 9300–34800 ग्रेड पे रू. 4200 में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो तथा कुल सेवाकाल 17 वर्ष का हो।

सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु :–

क्र.स.	पदनाम एवं आयु सीमा	सातवे वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल	पदों की सं.	सामान्य	अ.जाति	अ. जा. जाति	अ.पि. वर्ग	शैक्षिक अर्हता
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक आयु: 21–42 वर्ष	लेवल–5	2	1	1	0	0	(क) शैक्षिक अर्हताएंः– इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के साथ हिन्दी आशुलिपि में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में प्रति घंटा 4000 की–डिप्रेशन (Key-Depressions) की न्यूनतम गति के साथ कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान। (ख) अधिकानी अर्हताएंः– संस्कृत एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान।
2	कनिष्ठ सहायक आयु: 21–42 वर्ष	लेवल–3	1	1	0	0	0	(क) अनिवार्य अर्हताएंः– 1. इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा। 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में प्रति घंटा 4000 की–डिप्रेशन (Key-Depressions) की न्यूनतम गति। (ख) अधिकानी अर्हताएंः– संस्कृत एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान। अभ्युक्तिः– कनिष्ठ सहायक का पद धरणाधिकार (Lien) पर रिक्त हुए पद के सापेक्ष विज्ञापित है।

चयन का माध्यम :–

1. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु उपरोक्त क्रम संख्या 1 सहायक कुलसचिव व क्रम संख्या 2 प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर चयन प्रक्रिया स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार के आधार पर होगी।
2. सीधी भर्ती के पदों पर क्रम संख्या 1 आशुलिपिक व क्रम संख्या 2 कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयन प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

   (क) लिखित परीक्षा 100 अंको की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घण्टे की होगी।

   आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक :–

   1. 15 प्रश्न उत्तराखण्ड के सामापय ज्ञान सम्बन्धी होंगे।
   2. 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान, भूगोल, इतिहास, महानविभूतियों, समसामयिक, खेलकूद, राजनैतिक, सामाजिक, घटनाक्रम शिक्षा व विश्वविद्यालयों सम्बन्धी तथा सामान्य संस्कृत व हिन्दी भाषा सम्बन्धी होंगे।
   3. 30 प्रश्न आशुलेखन शब्दावली एवं ज्ञान पर आधारित होंगे।
   4. 30 प्रश्न कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री, कम्प्यूटर ज्ञान सम्बन्धी होंगे।

   कनिष्ठ सहायकः–

   1. 25 प्रश्न उत्तराखण्ड के सामान्य ज्ञान सम्बन्धी होंगे।
   2. 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान, भूगोल, इतिहास, महानविभूतियों, समसामयिक, खेलकूद, राजनैतिक, सामाजिक, घटनाक्रम शिक्षा व विश्वविद्यालयों सम्बन्धी तथा सामान्य संस्कृत व हिन्दी भाषा सम्बन्धी होंगे।
   3. 50 प्रश्न कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री, कम्प्यूटर शब्दावली एवं कम्प्यूटर ज्ञान सम्बन्धी होंगे।

नोटः–

1. आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक पद के लिये उपरोक्तानुसार आशुलिपि व कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
2. कनिष्ठ सहायक पद के लिये उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
3. लिखित परीक्षा प्रश्न–पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
4. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
5. लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्वन प्रति के साथ डुप्लीकेट (Duplicate) में होगी तथा द्वितीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
6. गलत उत्तरों के लिए दण्ड– वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगाः–

   (क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

   (ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जायेगा।

   (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

   (घ) ओ.एम.आर शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचने/छेडछाड के लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

   अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर शीट में गलत रोल न. अथवा बुकलेट सीरिज डालता है तो उसकी ओ.एम.आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

<u>अन्य महात्वपूर्ण निर्देश :–</u>

1. उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है। (प्रतिनियुक्ति के पदों पर लागू नही होगी।)
2. अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवास होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
3. आवेदन–पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के पास अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक है। अन्तिम तिथि के बाद की अर्हता स्वीकार नहीं होगी।
4. किसी प्रकार की सिफारिश/दबाव को अयोग्यता सूचक माना जायेगा।
5. आवेदन–पत्रों के डाक द्वारा विलम्ब होने अथवा गुम होने का दायित्व विश्वविद्यालय का नहीं होगा।
6. सभी मूल प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियां एवं छायाचित्र/फोटो किसी राजपत्रित <u>अधिकारी द्वारा अथवा स्वप्रमाणित</u> प्रमाणित होनी आवश्यक है।
7. परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी अर्ह नहीं था/थी अथवा आवेदन पत्र निरस्त होना चाहिए था तो विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि उसका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाये।
8. विश्वविद्यालय को नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त करने या आगे बढ़ाने या स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. साक्षात्कार/लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।
10. केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संस्था/विभाग के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

11. लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आवेदित पदनाम व विज्ञापन संख्या का उललेख अवश्य होना चाहिए। अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
12. अभ्यर्थी की अर्हता तथा अन्यथा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
13. एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होन पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जायेगें।
14. सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदों हेतु आवेदन शुल्क रू. 1000/– मात्र विश्वविद्यालय में *डिमाण्ड ड्राफ्ट वित्त नियंत्रक उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार* के नाम देय होगा।
15. आशुलिपिक एवं कनिष्ठ सहायक के पद हेतु आवेदन शुल्क (सामान्य अभ्यर्थी हेतु रू. 700/– मात्र तथा अनु. जाति वर्ग हेतु रू.–400/–मात्र) विश्वविद्यालय में *डिमाण्ड ड्राफ्ट वित्त नियंत्रक उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार* के नाम देय होगा।
16. अन्तिम तिथि के बाद आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन–पत्र तथा ऐसे आवेदन–पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं है, समय से प्राप्त होने के बावजूद निरस्त कर दिये जायेंगे। बिना निर्धारित शुल्क/निर्धारित शुल्क से कम शुल्क वाले आवेदन–पत्र भी अस्वीकार कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर जारी कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
17. चरित्र प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा मान्य होगा।
18. अभ्यर्थी प्रत्येक पद के लिए पृथक्–पृथक् आवेदन कर सकता है।
19. सीधी भर्ती हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के आधार पर अनुमन्य होगा।
20. केन्द्र या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संस्था/विभाग द्वारा पदच्युत अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
21. ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी हो।
22. परीक्षा की तिथि कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्रों के माध्यम से सूचना विश्वविद्यालय वैबसाइट पर दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी, परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
23. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
24. आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नही किया जायेगा।
25. विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/शिक्षक एवं कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के पद पर आवेदन के लिए पात्र नही होंगे।
26. प्रतिनियुक्ति की शर्तें राज्य सरकार के नियमानुसार होंगी।
27. प्रतिनियुक्ति अवधि प्रथम एक वर्ष के लिए होगी, जिसे एक–एक वर्ष के आधार पर अधिकतम तीन वर्षो तक बढ़ाया जा सकता है। किन्तु यदि चयनित अभ्यर्थी की सवायें सन्तोषजनक नही पायी जाती हैं तो उसे एक वर्ष से पूर्व भी कार्यमुक्त/हटाया जा सकता है।

कुलसचिव